भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 274 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार/पुनर्विकास

***274. डॉ. राजीव भारद्वाज:**
श्री के. सुधाकरन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश में विशेषकर कन्नूर रेलवे स्टेशन सहित कितने रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है;

(ख) उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा यदि कोई विलंब हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) कन्नूर रेलवे स्टेशन पर परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा क्या है;

(च) क्या उक्त योजना के अंतर्गत स्टेशनों पर दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 19.03.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 274 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ) केरल राज्य में स्थित कण्णूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित किया गया है। कण्णूर स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं। साथ ही, पिछले तीन वर्षों के दौरान कण्णूर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं से संबंधित अनेक कार्य किए गए हैं, जिनमें लिफ्ट, एस्केलेटर, जन उद्घोषणा प्रणाली, सौर ऊर्जा संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार आदि शामिल हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टीमोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से 35 रेलवे स्टेशन केरल राज्य में स्थित हैं। केरल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:-

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
केरल	35	अलाप्पुझा, अंगडीप्पुरम, अंगमालि कालडि, चलाकुडी, चंगनाशेरी, चेंगन्नूर, चिरयिनकीष़, एरणाकुलम, एरणाकुलम टाउन, एट्टुमानूर, फेरोक, गुरुवायूर, कण्णूर, कासरगोड, कयानकुलम, कोल्लम, कोझिकोड, कुट्टीपुरम, मवेलीकारा, नेय्यातिनकारा, नीलांबुर रोड, ओट्टप्पलम, परप्पनंगडी, पय्यानूर, पुनालुर, षोरणूर जं., थलास्सेरी, तिरुवनंतपुरम त्रिशूर, तिरूर, तिरुवल्ला, थिरुपनिथुरा, वडकारा, वर्कला शिवगिरी, वडकांचेरी

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास/उन्नयन को आम तौर पर योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। केरल राज्य दक्षिण रेलवे के अंतर्गत आता है। इस जोन के लिए, योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,098 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है और 2024-25 के दौरान (जनवरी, 2025 तक) 990 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

भारतीय रेल भारत सरकार के "सुगम्य भारत मिशन" या 'सुगम्य भारत अभियान' के तहत दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए अपने रेलवे स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में, भारत के राजपत्र में "दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों की सुगम्यता और सुविधाओं संबंधी दिशानिर्देश" परिपत्रित और अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों और सीमित गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं जैसे प्रवेश रैम्प, सुगम्य पार्किंग, कम ऊंचाई वाली टिकट खिड़की/सहायता बूथ, शौचालय, पेयजल बूथ, रैम्प/लिफ्टों के साथ सब-वे/फुट ओवर ब्रिज, ब्रेल साइनेज सहित मानक प्रदर्श-व्यवस्था और दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्शनीय पथ आदि का प्रावधान किया गया है।

*****